क्रम-संख्या-11

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 6 जनवरी, 1979

पौष 16, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 26/सत्तह-वि0-1—8-1978

लखनऊ, 6 जनवरी, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 2 जनवरी, 1979 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1979)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1976 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 की,जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्--

"(क) किसी उधार या अग्रिम पर जो किसी बैंक या सहकारी समिति द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उसके यहां रखा जाय; "।

धारा 7 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में,--

(क) शब्द "यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर साहूकारी का कारबार करने वाला कोई व्यक्ति वह कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् करना चाहता है" के पश्चात् शब्द "या कोई व्यक्ति उक्त दिनांक के पश्चात् ऐसा कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में प्रारम्भ करना चाहता है" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे ;

(ख) परन्तुक में, शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के दिनांक से" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:--

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे संव्यवहार पर लागू न होगी जहां पूर्ण या आंशिक रूप से असंदत्त बन्ध-पत्र या वचन-पत्र के बदले में नया बन्ध-पत्र या वचन-पत्र निष्पादित किया जाय।"

धारा 18 का प्रतिस्थापन

5--मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और सदैव से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:--

"18--किसी साहूकार द्वारा धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी साहूकारों के कतिपय वादों पर रोक

उधार, करार या प्रतिभूति के आधार पर कोई वाद संस्थित नहीं किया जा सकेगा, जब तक न कि ऐसा उधार देते समय या ऐसा करार करते समय या ऐसी प्रतिभूति लेते समय--

(क) ऐसा साहूकार रजिस्ट्रीकरण का विधिमान्य प्रमाण-पत्र धारण करता रहा हो; या

(ख) ऐसा साहूकार ऐसे प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर चुका हो, जो अस्वीकृत न कर दिया गया हो; या

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि असमाप्त रही हो।"

धारा 26 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 26 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:--

"परन्तु रजिस्ट्रार ऐसे साहूकार द्वारा आवेदन पत्र देने पर, पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब को माफ कर सकता है और उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर प्रस्तुत किये गये विवरण-पत्र को स्वीकार कर सकता है।"

धारा 29 का पतिस्थापन

7--मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

निरसन

"29--उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित अतिव्याज उधार अधिनियम, 1918 को ऐसे उधार और अग्रिम के सम्बन्ध में जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, दिनांक 10 अगस्त, 1976 से एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।"

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Viniyamak (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 2, 1979:

No. 26/XVII-V-1—8-78

Dated Lucknow, January 6, 1979

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF MONEY-LENDING (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act no. 1 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 1978.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 29 of 1976.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending Act, 1976, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* clause (*a*), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*a*) any loan or advance by or any deposit with any bank or a co-operative society."

Amendment of section 7.

3. In section 7 of the principal Act, in sub-section (1)—

(*a*) *after* the words, "Any person carrying on the business of Money-Lending on the date of commencement of this Act wishing to carry on such business after such commencement", the words "or any person wishing to commence such business after the said date" shall be inserted and be deemed always to have been *inserted* ;

(*b*) in the proviso, *for* the words "from the date of such commencement", the words and figures "from the date of commencement of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 1978" shall be *substituted*.

Amendment of section 14.

4. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to a transaction where a fresh bond or promissory note is executed in lieu of a bond or promissory note which remains wholly or partly unpaid."

Substitution of section 18.

5. *For* section 18 of the principal Act, the following section shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

"18. (1) No suit on the basis of any loan, agreement or security referred to in sub-section (1) of section 15 shall be instituted by a money-lender, unless at the time of advancing such loan or making such agreement or taking such security—

Bar on certain suits by money-lenders.

(*a*) such money-lender held a valid certificate of registration ; or

(*b*) such money-lender had applied for such certificate and the same had not been refused ; or

(*c*) the period specified in the proviso to sub-section (1) of section 7 had not expired.

Amendment of section 26.

6. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that the Registrar may on an application by such money-lender, for sufficient cause condone the delay and accept the statement submitted within three months from the date of the commencement of the Uttar Pradesh Regulation of Money-Lending (Amendment) Act, 1978."

Substitution section 29.

7. *For* section 29 of the principal Act, the following section shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely:—

Repeal.

"29. The Usurious Loans Act, 1918, as amended in its application to Uttar Pradesh, is hereby repealed with effect from August 10, 1976 in relation to loans and advances to which the provisions of this Act apply."

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 346 सा० विधा०—6-1-79—(3396)—1978—650 (मेक०)।